राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 1032/2005/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक– आमेर जिला जयपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री गणेश, 2– श्री शैतान, 3– श्री नानू उर्फ रामसिंह पुत्रान श्री छोटू , 4– श्रीमती प्रभू पत्नि श्री छोटू जाति जाट निवासी सभी ग्राम मूण्डोता ''सैराबतपुरा'' तहसील आमेर जिला जयपुर। 5. श्री भोलू पुत्र दूला जाट,
6. श्री रूगनाथ फौत, 7. श्री मिसत्या पुत्रान श्री माना
8. श्री बोदू, 9.श्री गणेश,10.श्री हरदेव पुत्रान श्री मोटा, 11. श्रीकजोड, 12.श्री घीसा,13.श्री सांवला, 14. श्री मोहरू पुत्रान श्री कालू जाट सभी निवासीगण ग्राम मूण्डोता ''सैरावतपुरा'' तहसील आमेर जिला जयपुर .....अप्रार्थीगण.

निगरानी संख्या – 1034/2005/जयपुर

राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक– आमेर जिला जयपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री तेजा पुत्र श्री हुकमा जाति जाट निवासी सभी ग्राम मूण्डोता ''सैराबतपुरा'' तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. श्री भोलू पुत्र दूला जाट, 3. श्री रूगनाथ जाट,4.श्री मिसत्या पुत्रान श्री माना, 5. श्री बोदू, 6. श्री गणेश,7. श्रीहरदेव पुत्रान मोटा,8. श्री कजोड, 9. श्री घीसा,10. श्रीसांवला, 11.श्री मोहरू पुत्रान कालू जाट सभी निवासीगण ग्राम मूण्डोता ''सैरावतपुरा'' तहसील आमेर जिला जयपुर .....अप्रार्थीगण.

एकलपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रार्थीराजस्वकी ओरसे

श्री वी.के. गर्ग
अभिभाषक .....अप्रार्थीगण की ओर से.

.....

निर्णय दिनांक : 12/02/2015

निर्णय

यह दोनों प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 विरूद्ध कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 68/1996 एवं प्रकरण संख्या 64/1996 निर्णय दिनांक 26.02.2002 प्रस्तुत किया गया है।

उपराजकीय अभिभाषक श्री जमील जई एवं वकील अप्रार्थी श्री वी.के.गर्ग उपस्थित जिन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अप्रार्थी ने बहस शुरू करते हुये प्रारम्भिक आपति दर्ज कराई और कहा कि प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी कालातीत है और इस आधार पर ही प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। अपने पक्ष में वकील अप्रार्थी ने 1987 (66) एस टी सी 228, 1994 (2) एस टी ओ 26, 2007 (2) आर आर टी 939 (एस सी), 2 आर आर टी 788 (राज.उच्च न्यायालय) एवं 2011 आर आर टी वोल्यूम 1 पृष्ठ 664 का हवाला देते हुये इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि राजस्थान कर बोर्ड ने अपने निर्णय दिनांक 31.12.2012 निगरानी संख्या 1777/2011 प्रतापगढ में स्वयं इस तथ्य को माना है कि निगरानी यदि मयाद बाहर प्रस्तुत होती है एवं निगरानी प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब के प्रदर्शित कारण सन्तोषप्रद नहीं होते हैं तो निगरानी अस्वीकार की जानी चाहिये। वकील अप्रार्थी का यह भी कहना है कि केवल इसी आधार पर प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी खारिज की जाय। उन्होने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि यदि उप राजकीय अभिभाषक गुणावगुण के आधार पर बहस करना चाहे तो वह इसके लिये तैयार है।

उपराजकीय अभिभाषक का कहना है कि विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.02.2002 के है। इस आदेश को महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक के यहां भेज कर कानूनी पहलुओं पर जांच कर अपील योग्य पाये जाने पर अपील सम्बन्धित न्यायलय में की जाती है जो एक निर्धारित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में समय लगना सम्भव है और चूंकि इस प्रकरण में गुणावगुण राज्य सरकार के पक्ष में है इसलिये केवल मयाद बिन्दु पर निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी कहना है कि पूर्व में विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय ने अपने आदेश दिनांक 27.07.1995 से उप पंजीयक, आमेर द्वारा प्रेषित रेफरेन्स का सही पाया था। तत्पश्चात् अप्रार्थीगण ने स्वयं विलम्ब से एक प्रार्थना पत्र विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय को अन्तर्गत धारा 52 मुद्रांक अधिनियम प्रस्तुत किया जिसे 90 दिवस में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था परन्तु विलम्ब से प्रस्तुत किये गये अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय ने स्वीकार कर दिनांक 26.02.2002 द्वारा अपने ही पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया। उन्होने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित भूमि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की अनुसूचि 48 के अनुसार रिलीज की श्रेणी में नहीं आती है बल्कि गिफ्टडीड अथवा कन्वेन्स की श्रेणी में आती है जिस पर नियमानुसार मुद्रांक कर देय है। उप राजकीय अभिभाषक का अग्रिम

कथन है कि मुद्रांक डयूटी से बचने के उद्देश्य से अप्रार्थीगण ने रिलीज डाक्यूमेन्ट तैयार कर पंजीबद्ध कराने का प्रयत्न किया है जो कि करापवंचन की श्रेणी में आता है। उनका कहना है कि उप पंजीयक द्वारा दायर रेफरेन्स सही है और इस तरह विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 26.02.2002 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है एवं उन्होने इस न्यायालय से यह प्रार्थना की कि उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स की पुष्टि की जाय एवं तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाय। उप राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अप्रार्थीगण ने एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वह अशिक्षित है एवं उनको बहला फुसला कर रिलीज डाक्यूमेन्ट पर उनके हस्ताक्षर लिये गये हैं जिसकी जांच होनी चाहिये। उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कहना है कि इस आवेदन पत्र के आधार पर विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय को जांच कर धोखाधडी व जालसाजी का प्रकरण सम्बन्धित अप्रार्थीगण विरूद्ध दर्ज कराना था लेकिन विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय ने इस आवेदन पत्र को पूर्णतया नकारते हुये अपना आदेश पारित कर दिया। उप राजकीय अभिभाषक का यह भी कहना है कि विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अप्रार्थीगण के आपसी रक्त सम्बन्धों को स्वीकार किया है जो कि अनुचित है क्योंकि यदि वंशावली भी देखी जाय तो इससे प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण के रक्त सम्बन्ध नहीं है। उप राजकीय अभिभाषक ने इस तथ्य पर जार दिया कि उपरोक्त के आधार पर विभागीय परिपत्र 23/94 दिनांक 10.05.1994 लागू होता है और इस तरह विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 26.02.2002 को अपास्त किया जाय।

अपने उत्तर में वकील अप्रार्थीगण का कथन है कि जो आवेदन पत्र कुछ अप्रार्थीगण ने दिया है वह मात्र फोटो प्रति है और उसमें हलफनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में इस आवेदन पत्र का कोई महत्व नहीं है। उनका कहना है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वंशावली प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण आपस में निकट सम्बन्धी है। चूंकि पैत्रिक सम्पति के अब कई वारिसान है इसलिये भूमि को बेचना सम्भव नही है क्योंकि हर खातेदार के हिस्से में फ्रेकमेन्ट आता है जिसको बेचना सम्भव नहीं है। उन्होने यह भी कहा कि सन् 2008 में अप्रार्थीगण के सम्बन्ध में दो हक त्यागपत्र उप पंजीयक, आमेर ने इसी भूमि के सम्बन्ध में पंजीयन किये है। उस समय उप पंजीयक ने किसी प्रकार की आपति नहीं की थी लेकिन इस प्रकरण में आपति कर रहे है जो

अनुचित है। उनका यह भी कहना है कि यदि अप्रार्थीगण ने विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया था तो इस सम्बन्ध में सरकार को विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय के समक्ष आपति दर्ज करानी थी। ऐसा नहीं कर अब वो ही आपति राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष की जा रही है जो कि अनुचित है। उपरोक्त के आधार पर वकील अप्रार्थीगण ने अपना आग्रह दोहराया कि प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी खारिज किया जाय।

अपने रिज्योइण्डर आरग्यूमेन्ट में उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि सन् 2008 में जो हक त्यागपत्र दिया गया है वह रक्त सम्बन्धियों के बीच में है इसलिये इसमें कोई त्रुटि नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर गौर किया। राजस्थान मुद्राक अधिनियम, 1998 की अनुसूचि 48 मं स्पष्ट है कि यदि पैत्रिक सम्पति का हक त्याग रक्त सम्बन्धियों की बीच में है तब ही इसे 100/– रू. के स्टेम्प पेपर पर निष्पादित किया जा सकता है। अनुसूचि 48 के अनुसार –

"Releasr, that is to say any instrument, not being such a relese as is provided for by section 26(2), whereby a coowner, co-share, part or claim in favour of another co-owner, co-sharer or co-parcener,-

निर्मुक्ति अर्थात कोई लिखित जो ऐसी निर्मुक्ति नहीं है जिसके लिये धारा 26(2) द्वारा उपबन्ध किया गया है जिसके द्वारा कोई सहस्वामी,सह–अंशधारी या सहदायिक अपना हित,अंश,भाग या दावा अन्य सहस्वामी, सहअंशधारी या सहदायिक के पक्ष में त्याग देता है–

2[(a) if the release deed of an ancenstal property or part thereof is executed by or in favour of brother or sister (children of renoncer's parents) or son or daughter or son of a predeceased son or daughter or a predeceased son or father or mother or spouse of the renouncer or the legal heirs of the above relatives.]

1(क) यदि पैत्रिक सम्पति या उसके किसी भाग का निर्मुक्ति विलेख भाई या बहिन(त्यागने वाले माता पिता के बच्चे) या पुत्र या पुत्री या पूर्वमृत पुत्र की पुत्री या पिता या माता या त्यागने वाले की पत्नी या पति या उपर्युक्त नातेदारों के विधिक उतराधिकारियों द्वारा या उनके पक्ष मं निष्पादित किया जाये।)

अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वंशावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण रक्त सम्बन्धी नहीं है। उल्लेखनीय है कि श्री गणेश, श्री शैतान, श्री रिछपाल व श्री नानू उर्फ रामसिंह श्री छोटू के पुत्र है जिन्होने अपना हक त्याग श्री रूगनाथ व श्री मिसत्या पुत्र श्री मानाराम, श्री भोलूराम पुत्र दुलाराम व श्री बोदू, गणेश व हरदेव मिसत्या श्री मोटाराम के हक में किया है जिनमें रक्त सम्बन्ध होना उजागर नहीं होता है। यद्यपि यह सभी सम्बन्धी ही है एवं वादग्रस्त आराजियात पैत्रिक है। सन् 2008 में जो हक त्यागपत्र किया गया है वह श्रीमती सुनीदेवी, श्रीमती गुलाबदेवी श्रीमती सुखीदेवी, श्रीमती संतोषदेवी पुत्रियान स्व.श्री कजोड ने किया है जिन्होने सगे भाई श्री सुण्डाराम व वनराज एवं जगदीश प्रसाद को किया है जो कि रक्त सम्बन्धी है। अतः सन् 2008 में किये गये हक त्यागपत्र की तुलना वादग्रस्त हक त्यागपत्र से नहीं की जा सकती।

उपरोक्त के आधार पर हम यह भी मानते है कि सरकार की ओर उसे निगरानी प्रार्थना पत्र दायर करने में हुये विलम्ब के पर्याप्त कारण है इसलिये केवल मयाद बिन्दु के आधार पर निगरानी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त के आधार पर हम इस नतीजे पर पहूंचते हैं कि विद्वान कलक्टर मुद्रांक जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 26.02.2002 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है अतः इसे निरस्त किया जाता है एवं उनके द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 27.07.1995 की पुष्टि की जाती है।

अतः प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी स्वीकार की जाती है। चूकि दोनों प्रकरणों में तथ्य समान है अतः यह आदेश दोनों प्रकरणों पर लागू समझे जाय।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष